He Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 510] No. 510] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर १, २००१/भाद्र 18, 1931

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2009/BHADRA 18, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 651(अ).—औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 45(अ), तारीख 22 जनवरी, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 22 जनवरी, 2009 में प्रकाशित की गई थीं जिससे ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 27-1-2009 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियम पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श के पश्चात्, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखत नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (पांचवा संशोधन) नियम, 2009 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 3क के उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
 - "3. कंडोम के परीक्षण के बाबत प्रयोगशाला के कृत्य केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई में किए जाएंगे और उक्त उत्पाद की बाबत निदेशक के कृत्य उक्त प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा प्रयोग किए जाएंगे ।"

[फा. सं. एक्स-11014/3/2008-डीएफक्यूसी]

देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण.—औषि और प्रसाधन नियम, भारत सरकार के प्रकाशन पीडीजीएचएस-93 में औषि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं. सा.का.नि. 263(अ) तारीख 20-4-2009 द्वारा किया गया।

3296 GI/2009

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2009

G.S.R. 651(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, was published under the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), vide number G.S.R. 45(E), dated the 22nd January, 2009 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 22nd January, 2009 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 27-1-2009.

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (5th Amendment) Rules, 2009.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in rule 3A, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
 - "(3) The functions of the laboratory in respect of testing of condoms shall be carried out at the Central Drugs Testing Laboratory, Chennai, and the functions of the Director in respect of the said products shall be exercised by the Director of the said Laboratory."

[F. No. X-11014/3/2008-DFQC]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.

Foot Note:—The Drugs and Cosmetics Rules were published in the Government of India publications PDGHS-93 on the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 and last amended *vide* number G.S.R. 263(E) and dated 20-4-2009.